मेसर्स त्रिमूर्ति फ्रैग्रेन्स (पी) लिमिटेड। इसके माध्यम से

निदेशक श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल

वी.

एन. सी. टी. दिल्ली की सरकार अपने माध्यम से

प्रधान सचिव (वित्त) और ओआरएस।

(2011 की सिविल अपील संख्या 8486)

19 सितंबर, 2022

[इंदिरा बनर्जी, सूर्या कांत, एम. एम. सुंदरेश,

सुधांशु धूलिया और हेमंत गुप्ता, जे. जे.]

कर/कराधान-उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त शुल्क (विशेष वस्तुओं)

महत्व) अधिनियम, 1957-केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944-दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, 1975-उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948-तमिलनाडु सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1959-क्या पान मसाला, जिसमें तंबाकू और गुटका शामिल हैं, एडीई अधिनियम की पहली अनुसूची में प्रविष्टि द्वारा कवर किया गया है, 1975 के अधिनियम और/या 1948 के अधिनियम और/या 1959 के अधिनियम के तहत राज्य द्वारा कर योग्य हैः ए. डी. ई. अधिनियम उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त शुल्कों के उद्ग्रहण और संग्रह का प्रावधान करने के लिए बनाया गया है।

कुछ वस्तुओं के संबंध में, उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के तहत लगाया जाता है-एक बार जब सामान एडीई अधिनियम के तहत प्रभार्य हो जाता है, तो राज्य राज्य अधिनियम के तहत एक ही सामान पर बिक्री कर नहीं लगा सकता है-कोठारी उत्पाद लाइन ऑफ केस और आगरा बेल्टिंग लाइन ऑफ केस के बीच कोई टकराव नहीं है।

भारत का संविधान-अनुच्छेद 145-टकटकी से निर्णय लेने का सिद्धांत-पूर्ववर्ती सिद्धांतों का सिद्धांत-पूर्ववर्ती निर्णयों को रद्द करने के लिए दिशानिर्देश।

सुनवाई में अधिकांश न्यायाधीशों की सहमति को न्यायालय का निर्णय या राय माना जाएगा-बहुमत अधिक संख्या वाली पीठ का निर्णय निर्णय पर हावी होगा।

516 आई/एस त्रिमूर्ति फ्रैग्रेन्स (पी) लिमिटेड। यह डी. आई. आर. के माध्यम से है। शी डीप कुमार अग्रवाल बनाम। जीओवीटी। दिल्ली के एन. सी. टी. ने अपने प्रधान सचिव (वित्त) के माध्यम सेजू की संख्या की परवाह किए बिना, कम ताकत की बेंच

बहुमत की घोषणा करते हुए-हेमंत गुप्ता, जे। (कॉन्कुरिन)

कम या समान संख्या की समान पीठ-यह धारा ई बेंच है न कि न्यायाधीशों की संख्या जिन्होंने एक पक्ष लिया है जिसे प्रासंगिक कहा जाता है-कम कोरम सी. सी. की बेंचएल. यू. एम. की पीठ द्वारा लिए गए कानून के दृष्टिकोण से सहमति या असहमति इस प्रकार, न्यायाधीशों की संख्यात्मक ताकत प्रासंगिक नहीं है, लेकिन पीठ मजबूत करती है।

निर्णय की बाध्यकारी प्रकृति का संक्षिप्त विवरण।

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। मुख्यमंत्री और

अन्य। (2021) 8 एससीसी 1: 2021 (8) जे. टी. 337; दाउदी बोहरा समुदाय और अन्न का केंद्रीय बोर्ड। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्न। (2005) 2 एससीसी 673: [2004] 6 पूरक। एससीआर 1054; भारत संघ और ए. एन. आर. वी. रघुबीर

सिंह (मृत) एलआरएस द्वारा। (1989) 2 एस. सी. सी. 754: [1989] 3

इसके बाद एस. सी. आर. 316 आया।

कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम ए. पी. राज्य (2000) 9 एस. सी. सी. 263: 2000 (3) जे. टी. 554; केंद्रीय बिक्री कर बनाम आगरा बेल्टिंग

कार्य (1987) 3 एससीसी 140: [1987] 3 एससीआर 93-चर्चा की गई।

शांति सुगंध बनाम। भारत संघ और अन्य

(2018) 11 एससीसी 305: [2017] 8 एस. सी. आर. 711; भारत संघ बनाम। रघुबीर सिंह (1989) 2 एससीसी 754: [1989]

3 एससीआर 316; निंगप्पा रामप्पा कुरबार बनाम। सम्राट

1941 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 41: एयर 1941 बम 408;

उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन। बनाम भारत संघ (2016) 5 एस. सी. सी. 1: [2015] 13 एससीआर 1; हार्पर बनाम। राष्ट्रीय कोयला बोर्ड [1974] क्यू. बी. 614; महालक्ष्मी ऑयल मिल्स बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1989) 1 एस. सी. सी. 164: [1988] 2 पूरक। एससीआर 1088; गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड बनाम।

उत्तर प्रदेश राज्य (2005) 2 एस. सी. सी. 515: [2005] 1 एस. सी. आर. 732; स्टेट ऑफ ओरिसा बनाम राधे श्याम गुदाखु फैक्ट्री (2018) 11 एस. सी. सी. 505; गुलाबचंद हरेकचंद बनाम। राज्य

पश्चिम बंगाल 1984 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 274; रिलायंस ट्रेडिंग कंपनी, केरल बनाम। केरल राज्य (2011)

15 एस. सी. सी. 762; बिक्री कर अधिकारी, सेक्टर-IX, कानपुर

बनाम। डेयरी उत्पादों और ए. एन. आर. का सौदा। (1994) सप.

[2022] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

काबरा और एक अन्य (1997) 9 एस. सी. सी. 763-संदर्भित।
गुजरात राज्य बनाम गोरधनदास केशवजी गांधी और

ओआरएस। ए. आई. आर. 1962 जी. जे. 128-अनुमोदित।

मामला कानून संदर्भ

इंदिरा बनर्जी के फैसले में, जे.

[2017] 8 एससीआर 711

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

[1989] 3 एससीआर 316

संदर्भित किया गया है

पैरा 3

[1987] 3 एससीआर 93

चर्चा की।

पैरा 4

[2015] 13 एससीआर 1

पैरा 4 (ii)

संदर्भित किया गया है

[1988] 2 पूरक। एससीआर 1088

संदर्भित किया गया है

पैरा 6

[2005] 1 एससीआर 732

पैरा 7

संदर्भित किया गया है

हेमंत गुप्ता के फैसले में, जे।

[2004] 6 पूरक। एससीआर 1054

पीछा किया।

पैरा एफ

[1989] 3 एससीआर 316

पीछा किया।

पैरा एफ

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 8486

2011 से।

उच्च न्यायालय के 05.04.2006 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2005 के रिट याचिका (सी) No.2925 में नई दिल्ली में दिल्ली का।

के साथ

सिविल अपील सं। 8485 , 8487 , 8496-8501 , 8502 2011 के 8617,

10374-10379 2014 का 8488,2011 का 8491-8494,8495,2017 का विशेष अनुमति याचिका (C) संख्या 33322।

श्री ध्रुव अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता। , नलिन तलवार, प्रवीण कुमार, निशित

अग्रवाल, सुश्री सुनैना कुमार, सुश्री कनिष्क मित्तल, माधव भाटिया, ध्रुव सुराना, श्रेष्ठ आर्य, आदित्य पांडे, सुश्री भारती त्यागी, पवनश्री अग्रवाल, सुश्री सौम्या धनखड़, श्रीमती प्रभा स्वामी, निखिल स्वामी, सुश्री दिव्या स्वामी, सुश्री उपासना अग्रवाल, विपिन कुमार जय, जी. प्रकाश, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

तुषार मेहता, एस. जी., एन. वेंकटरमन, ए. एस. जी., अरिजीत प्रसाद, के.

राधाकृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , रुपेश कुमार, जोहेब हुसैन, कानू अग्रवाल, वी. सी. एस. भारती, एच. आर. राव, राघव, मुकेश कुमार मारोरिया, मेसर्स त्रिमूर्ति फ्रैग्रेन्स (पी) लिमिटेड।

यह डी. आई. आर. के माध्यम से है। श्री

प्रदीप कुमार अग्रवाल बनाम। जीओवीटी। दिल्ली के एन. सी. टी. थ्रू

इसका प्रधान सचिव (वित्त)

गुरमीत सिंह मक्कर, टी. एस. शबरीश, विष्णु उन्नीकृष्णन, सुश्री शिवानी जेना, शंकर, एम. योगेश कन्ना, भक्ति वर्धन सिंह, विकास सिंह जांगड़ा, अमित कुमार पाठक, तुषार थरेजा, आर. नेदुमारन, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय के निर्णय * द्वारा दिए गए थे

इंदिरा बनर्जी, जे.

1. अपीलों के इस समूह में उठाया गया मुख्य सवाल यह है कि क्या 'पान मसाला', जिसमें तंबाकू और गुटका होता है, एक प्रविष्टि द्वारा कवर किया जाता है।

उत्पाद शुल्क (विशेष वस्तुओं) के अतिरिक्त शुल्कों की पहली अनुसूची में

महत्व) अधिनियम 1957, जिसे इसके बाद 'एडीई अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है, दिल्ली बिक्री कर अधिनियम 1975 और/या उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 और/या तमिलनाडु सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1959 के तहत राज्य द्वारा कर योग्य है।

2. शांति सुगंध बनाम। भारत संघ और अन्य ', ए

इस न्यायालय की खंड पीठ ने कहाः

12. ऐसा प्रतीत होता है कि कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बीच सीधा टकराव है। ए. पी. राज्य, (2000) 9 एस. सी. सी. 263], राधेश्याम गुडाखु कारखाना [उड़ीसा राज्य बनाम।

राधेश्याम गुडाखु फैक्ट्री, (2018) 11 एस. सी. सी. 505: (1988) 68 एस. टी. सी. 92 (एस. सी.) और रिलायंस ट्रेडिंग कंपनी। केरल राज्य, (2011) 15 एस. सी. सी. 762 एक पर निर्णय

हाथ, और आगरा बेल्टिंग वर्क्स [सी. एस. टी. v. आगरा बेल्टिंग वर्क्स, (1987) 3 एससीसी 140: 1987 एस. सी. सी. (कर) 233], जिसके बाद दूसरी ओर दो अन्य निर्णय भी आए। हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि

तीन हैं-दोनों पक्षों के न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय। ..... "

3. पीठ ने आगे कहाः

" 13. ..... इस मामले की एक और दिलचस्प विशेषता यह है कि क्या,

भारत संघ के बाद v. रघुबीर सिंह 2, एस. सी. आर. पीपी. 335-37 : एससीसी पीपी। 777-78 , पैरा 27 में यह कहा जा सकता है कि इसके न्यायाधीश

न्यायालय केवल सुविधा के लिए 2s और 3s में नहीं बैठता है, लेकिन यह कि

कम शक्ति। यदि पूर्ववर्ती का सिद्धांत, जैसा कि द्वारा लागू किया गया है यह न्यायालय, संख्याओं का मामला होना है, तो, ब्याज

* एड। ध्यान दें: इस मामले में दो अलग-अलग निर्णय थे-एक निर्णय माननीय न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने अपने लिए और माननीय न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत, माननीय न्यायमूर्ति श्री एम. एम. सुंदरेश और माननीय न्यायमूर्ति श्री सुधांशु धूलिया की ओर से दिया। और माननीय न्यायमूर्ति श्री हेमंत गुप्ता द्वारा दिया गया दूसरा निर्णय। 1 (2018) 11 एससीसी 305

2 (1989) 2 एससीसी 754; (1989) 3 एससीआर 316 [2022] 15 एस. सी. आर.

नहीं, जैसा कि ब्यूमोंट, सी. जे. द्वारा निंगप्पा अमप्पा कुरबार बनाम में आयोजित किया गया है। सम्राट 3, कानून की स्थिति इस प्रकार हो सकती है

देरः (एयर पी। 409: एस. सी. सी. ऑनलाइन बम)

..... उस मामले में न्यायालय में पाँच न्यायाधीश शामिल थे, जिनमें से एक

जिनका, जे. शाह, उस प्रस्ताव से असहमत थे। द.

मामले के अधिकार पर सवाल उठाया जा सकता है, क्योंकि क्वीन एम्प्रेस बनाम में चार न्यायाधीशों की इस अदालत की पूर्ण पीठ का पिछला निर्णय हुआ था। मुगप्पा बिन निंगपा [महारानी महारानी बनाम। मुगप्पा बिन निंगपा, आई. एल. आर. (1893) 18 बम 377], जो एक अलग निष्कर्ष पर पहुंच गया था।

जाहिर तौर पर यह माना जाता था कि पांच न्यायाधीश, बहुमत से

चार से एक, एक सर्वसम्मत निर्णय को रद्द कर सकता है

चार न्यायाधीश, शुद्ध परिणाम यह है कि चार की राय

न्यायाधीशों ने पांच न्यायाधीशों की राय पर विजय प्राप्त की

अधिकारिता का आदेश दें। ऐसा लगता है कि पूर्ण पीठ की शक्तियों और गठन पर बहुत कम अधिकार है। वहाँ हो सकता है

पीठ, और यह कि एक पूर्ण पीठ में तीन या अधिक न्यायाधीश होने चाहिए; लेकिन यह अभिनिर्धारित करना विसंगत प्रतीत होगा कि बाद में पूर्ण पीठ केवल पहले की पूर्ण पीठ को रद्द कर सकती है।

क्योंकि बाद की पीठ में पहले की तुलना में अधिक न्यायाधीश होते हैं। यदि यह नियम था, तो इसका अर्थ यह होगा कि सात न्यायाधीशों की पीठ, चार से तीन के बहुमत से, छह न्यायाधीशों की पीठ के सर्वसम्मत निर्णय को खारिज कर सकती है, हालांकि सभी न्यायाधीश समन्वित अधिकार क्षेत्र के थे। एनातुल्ला में

वी. कौशर अली [एनातुल्ला बनाम। कौशर अली, 1926 एससीसी

ऑनलाइन कैल 104: आई. एल. आर. (1927) 54 कैल 266], सैंडरसन, सी. जे. ने कलकत्ता में इस प्रथा को बताते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि पूर्ण पीठ के निर्णय को केवल प्रिवी काउंसिल या विशेष रूप से एक पीठ द्वारा ही उलट दिया जा सकता है।

मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित। भले ही यह सच्चा नियम हो, लेकिन यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश ने सम्राट v में इस पर कार्रवाई की थी। पुरुषोत्तम ईश्वर अमीन [सम्राट बनाम। पुरुषोत्तम ईश्वर अमीन, 1920 एस. सी. सी. ऑन लाइन बम 144: आईएलआर (1921) 45 बम 834]। मुझे याद है कि मैंने कभी भी पूर्ण पीठ के फैसले पर विचार करने के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया था, हालांकि मैंने कई पूर्ण पीठों का गठन किया है।

सी ऑनलाइन बम 41:

एयर 1941 बम 408 क्रिमुरथी फ्रैग्रेन्स (पी) लिमिटेड। यह डी. आई. आर. के माध्यम से है। श्री ई. पी. कुमार अग्रवाल बनाम। जीओवीटी। दिल्ली के एन. सी. टी. के माध्यम से प्रधान सचिव (वित्त) [इंदिरा बनर्जी, जे.]

डिवीजन बेंच के फैसलों पर विचार करना। तथापि, मुझे इस विषय को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि, वर्तमान अपील के उद्देश्य के लिए, मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि

झूठी गवाही का वैकल्पिक आरोप निहित है, और यह उस प्रकृति का आरोप था जिस पर विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने विचार किया था। तब सवाल यह है कि क्या न्याय के हित में यह समीचीन है कि ऐसा आरोप लगाया जाना चाहिए।

बनाया गया "।

. इस पहेली को एम. बी. लोकुर, जे.

उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन। वी. भारत संघ सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन। वी. भारत संघ, 016) 5 एस. सी. सी. 1], निम्नानुसार हैः (एससीसी पीपी। 577-78 , पैरा 669)

" 669. प्रदीप का एक और दिलचस्प पहलू

कुमार विश्वास [प्रदीप कुमार विश्वास बनाम। भारतीय संस्थान रासायनिक जीवविज्ञान विभाग, (2002) 5 एस. सी. सी. 111: 2002 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 633] यह है कि 7 (सात) विद्वान न्यायाधीशों में से

पीठ, 5 विद्वान न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से खारिज कर दिया

सभाजित में 5 विद्वान न्यायाधीशों के एक अन्य समूह का निर्णय

तिवारी [सभाजीत तिवारी बनाम। भारत संघ, (1975) 1 एस. सी. सी. 485: 1975 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 99]। प्रदीप कुमार विश्वास में दो विद्वान न्यायाधीश [प्रदीप कुमार विश्वास बनाम। भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान, (2002) 5 एस. सी. सी. 111: 2002 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 633] ने पाया कि सभाजीत तिवारी [सभाजीत तिवारी बनाम। भारत संघ, (1975) 1 एस. सी. सी. 485: 1975 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 99] सही ढंग से तय किया गया था। दूसरे शब्दों में, जबकि

कुल 7 विद्वान न्यायाधीशों ने एक विशेष दृष्टिकोण लिया

तथ्य और कानून का मुद्दा, उस दृष्टिकोण को 5 विद्वान न्यायाधीशों द्वारा गलत पाया गया, जिनके निर्णय में वास्तव में

आज का मैदान। क्या संख्याओं का भार अप्रासंगिक है? क्या ऐसा है?

केवल बाद की बेंच में संख्याएँ वास्तव में क्या हैं मायने रखता है? क्या स्थिति होती अगर केवल

प्रदीप कुमार विश्वास में विद्वान न्यायाधीश [प्रदीप कुमार विश्वास बनाम। भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान, (2002) 5 एस. सी. सी. 111: 2002 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 633] ने रद्द करने का फैसला किया था।

सभाजीत तिवारी [सभाजीत तिवारी बनाम। भारत संघ,

(1975) 1 एससीसी 485: 1975 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 99] जबकि

शेष 3 विद्वान न्यायाधीशों ने इसमें कोई त्रुटि नहीं पाई।

निर्णय? एक [2022] 15 एस. सी. आर. द्वारा सर्वसम्मति से दिया गया निर्णय होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5 विद्वान न्यायाधीशों की पीठ ने 7 विद्वानों की बाद की पीठ में 4 विद्वान न्यायाधीशों के फैसले को खारिज कर दिया। न्यायाधीशों? प्रदीप कुमार विश्वास [प्रदीप कुमार]

बिस्वास वी. भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान, (2002) 5

एससीसी 111: 2002 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 633] एक बजाय प्रस्तुत करता है

विसंगत स्थिति जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है प्रक्रिया के उचित नियम। अगर यह विसंगति है

तब 9 विद्वानों का सर्वसम्मत निर्णय कायम रखा गया

तीसरे न्यायाधीशों के मामले में न्यायाधीशों [1998 का विशेष संदर्भ संख्या 1, पुनः (1998) 7 एस. सी. सी. 739] को 6 विद्वान न्यायाधीशों द्वारा खारिज किया जा सकता है (जैसा कि विद्वान महान्यायवादी द्वारा माँगा गया है)।

11 विद्वान न्यायाधीशों की पीठ, जिनमें से 5 ने एक अलग दृष्टिकोण, न्यायाधीशों की कुल संख्या को लाने के लिए

एक दृश्य से 14 और दूसरा दृश्य से 6, दृश्य के साथ

6 विद्वान न्यायाधीशों को कानून के रूप में लिया जा रहा है!

15. यह इंगित किया जा सकता है कि वर्तमान मामले में, यदि संख्याओं को जोड़ा जाता है, तो कोठारी उत्पाद [कोठारी उत्पाद लिमिटेड। ए. पी. राज्य, (2000) 9 एस. सी. सी. 263] रेखा, जैसा कि राधेश्याम में अनुसरण किया गया है।

गुदाखु कारखाना [उड़ीसा राज्य बनाम। राधेश्याम गुडाखु

कारखाना, (2018) 11 एस. सी. सी. 505: (1988) 68 एस. टी. सी. 92 (एस. सी.) और रिलायंस ट्रेडिंग कंपनी। की स्थिति

केरल, (2011) 15 एस. सी. सी. 762], आगरा बेल्टिंग वर्क्स (सी. एस. टी. बनाम. आगरा बेल्टिंग वर्क्स, (1987) 3 एससीसी 140: 1987 एस. सी. सी. (कर) 233] पंक्ति, जो छह विद्वान न्यायाधीशों की संख्यात्मक संख्या तक जाती है। यदि बी. सी. रे, जे. के असहमत निर्णय को कोठारी प्रोडक्ट्स में जोड़ा जाना है [कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम।

निंगप्पा रामप्पा कुरबार [निंगप्पा] में ब्यूमोंट, सी. जे. रामप्पा कुरबार बनाम। सम्राट, 1941 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 41: ए. आई. आर. 1941 बम 408], और लोकुर, जे. द्वारा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन में। [उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन।

वी. भारत संघ, (2016) 5 एस. सी. सी. 1] "

4. दो-न्यायाधीशों की पीठ ने संविधान पीठ को संदर्भित करते हुए सवाल किएः

मेसर्स त्रिमूर्ति फ्रैग्रेन्स (पी) लिमिटेड। यह डी. आई. आर. के माध्यम से है। श्री

प्रदीप कुमार अग्रवाल बनाम। जीओवीटी। दिल्ली के एन. सी. टी. थ्रू

इसका प्रधान सचिव (वित्त) [इंदिरा बनर्जी, जे.]

क्या कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम। ए. पी. 4 लाइन की स्थिति

(i)

निर्णय या केंद्रीय बिक्री कर बनाम आगरा बेल्टिंग वर्क्स, निर्णयों की रेखा कानून में सही है; और

भविष्य के लिए उचित दिशा-निर्देश क्या होने चाहिए?

(ख)

इस न्यायालय के पूर्व निर्णय को निरस्त करते हुए, और न्यायालयों को किस हद तक इन प्रस्तावों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए

निंगप्पा रामप्पा कुरबार बनाम। सम्राट,

उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ताओं में लोकुर, जे. की टिप्पणियाँ

ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन। v भारत संघ 'और हार्पर बनाम में अपील न्यायालय का निर्णय। राष्ट्रीय कोयला बोर्ड 3.

5. ए. डी. ई. अधिनियम को कुछ वस्तुओं के संबंध में उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त शुल्क लगाने और संग्रह का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 के तहत लगाए गए उत्पाद शुल्क से ऊपर। ए. डी. ई. अधिनियम के उद्देश्यों का विवरण इस प्रकार है:

" इस विधेयक का उद्देश्य चीनी, तंबाकू और मिलों में बने कपड़ों पर केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए गए बिक्री करों के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाना और इन करों की शुद्ध आय को वितरित करना है, सिवाय आय के।

केंद्र शासित प्रदेशों, राज्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वितरण

अतिरिक्त शुल्कों की आय का मोटे तौर पर अनुसरण किया जाता है

द्वितीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रारूप। प्रावधान किया गया है कि जो राज्य 1.4.1958 के बाद इन वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर लगाते हैं, वे शुद्ध आय के वितरण में भाग नहीं लेते हैं। इन तीनों वस्तुओं को अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व की घोषित वस्तुओं की श्रेणी में शामिल करने के लिए भी विधेयक में प्रावधान किया जा रहा है ताकि उन पर समान उत्पाद शुल्क लगाए जाने के बाद किसी भी राज्य द्वारा लगाए जाने वाले बिक्री कर की दरें प्रतिबंधों के अधीन हों।

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 15 में।

6. महालक्ष्मी ऑयल मिल्स बनाम। ए. पी. 'राज्य, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 5 .....संक्षेप में, अधिनियम का उद्देश्य प्रतिस्थापन करना था

अब तक बिक्री कर के स्थान पर उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त शुल्क

(2000) 9 एससीसी 263

(1987) 3 एससीसी 140

1941 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 41: एयर एम 1941 बम 408

(2016) 5 एससीसी 1

[1974] क्यूबी 614(1989) 1 एससीसी 164 [2022] 15 एस. सी. आर.

इन वस्तुओं का संबंध था। चूँकि राज्य विधानसभाएँ इन वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर लगाने के लिए स्वतंत्र थीं, यदि वे चाहें, तो अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि

उत्पाद शुल्क केवल उन राज्यों के बीच वितरित किया जाएगा जिन्होंने इनकी बिक्री या खरीद पर कर नहीं लगाया है।

वस्तुएँ। साथ ही, इन वस्तुओं को श्रेणी में शामिल करके

अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व की घोषित वस्तुओं के लिए, कानून ने यह सुनिश्चित किया कि यदि कोई राज्य इन वस्तुओं के संबंध में बिक्री कर लगाता है, तो ऐसा शुल्क केंद्रीय बिक्री में निहित प्रतिबंधों के अधीन था।

कर अधिनियम, 1956 "।

7. यह अच्छी तरह से तय है कि एक बार ए. डी. ई. अधिनियम के तहत माल प्रभार्य हो जाने के बाद, राज्य किसी राज्य अधिनियम के तहत उसी माल पर बिक्री कर नहीं लगा सकता है। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड बनाम यू. पी. राज्य, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 70. इसलिए भले ही तंबाकू विलासिता की वस्तु हो, लेकिन इसकी आपूर्ति पर कर राज्य की अनन्य क्षमता के भीतर है, लेकिन केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 और 15 के साथ पठित अनुच्छेद 286 के तहत निर्धारित संवैधानिक प्रतिबंधों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से ए. डी. ई. अधिनियम, 1957 के अधीन है, जिसके तहत तंबाकू पर कोई भी बिक्री कर नहीं लगाया जा सकता है, यदि राज्य को ऐसा करना था।

उस अधिनियम के तहत लाभ लें।

8. कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड (ऊपर) में, सवाल था, 'तंबाकू' को एडीई अधिनियम की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किया जा रहा है, और छूट दी गई है।

आंध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम 1957 की धारा 8 के तहत बिक्री कर से, क्या 'गुटका' पर आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा कर लगाया जा सकता है। अदालत ने पाया कि "गुटका" तंबाकू होने के कारण, एडीई अधिनियम की पहली अनुसूची में एक प्रविष्टि द्वारा कवर किया गया है और एडीई अधिनियम के तहत कर के लिए उत्तरदायी है, यह आंध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 8 में छूट द्वारा कवर किया गया था। राज्य अधिनियम नहीं हो सकता था

कर "गुटका" में संशोधन किया गया।

9. इस न्यायालय के निर्णयों की एक पंक्ति है, जो कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड (उपरोक्त) के समान दृष्टिकोण रखती है और उन वस्तुओं को निम्नलिखित के दायरे में रखती है -

ए. डी. ई. अधिनियम राज्य द्वारा कर योग्य नहीं है।

10 (2005) 2 एस. सी. सी. 515 एम/एस. त्रिमूर्ति फ्रैग्रेन्स (पी) लिमिटेड। यह डी. आई. आर. के माध्यम से है। श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल बनाम। जीओवीटी। दिल्ली के एन. सी. टी. ने अपने प्रधान सचिव (वित्त) के माध्यम से [इंदिरा बनर्जी, जे.]

10. ओरिसा बनाम राधे श्याम गुदाखु फैक्ट्री 1 1 राज्य में, मुद्दा यह था कि क्या गुदाखु को कवर किया गया था

ए. डी. ई. अधिनियम की धारा 2 (सी) में परिभाषित 'तंबाकू' अभिव्यक्ति। गुलाबचंद हरेकचंद बनाम मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद। पश्चिम बंगाल राज्य ', इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि गुडाखू' तंबाकू 'का एक उत्पाद है और इसलिए, एक ऐसा उत्पाद जो उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम 1947 की अनुसूची की धारा संख्या 35 द्वारा कवर की गई छूट के अंतर्गत आता है।

11. रिलायंस ट्रेडिंग कंपनी में, केरल बनाम. केरल राज्य 1 3 इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि कपास आधारित तिरपाल को केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1963 के तहत बिक्री कर से छूट दी गई थी, क्योंकि यह ए. डी. ई. अधिनियम की पहली अनुसूची के तहत अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के लिए अपेक्षित था।

12. आगरा बेल्टिंग वर्क्स (उपरोक्त) में, सवाल यह था कि क्या उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 4 के तहत बिक्री कर अधिनियम से छूट प्राप्त सभी प्रकार के सूती कपड़े, धारा 4 के तहत पहले की अधिसूचना को वापस लिए बिना, उक्त अधिनियम की धारा 3-ए के तहत बाद की अधिसूचना के आधार पर बिक्री कर के दायरे से बाहर होंगे। जबकि बहुमत ने माना कि छूट वापस लेने की अधिसूचना धारा 3 के तहत एक वैध अधिसूचना द्वारा कर लगाने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त नहीं थी।

ए, B.C.Ray, जे. ने बहुमत के दृष्टिकोण से असहमति जताई।

13. आगरा बेल्टिंग वर्क्स (उपरोक्त) में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ का बहुमत, 2 के अनुपात सेः 1 , अन्य बातों के साथ-साथ आयोजित किया गयाः

" 6. जैसा कि ऊपर बताया गया है, धारा 3 प्रभार का प्रावधान है; धारा 3-ए कर की दर में बदलाव को अधिकृत करती है और धारा 4 कर से छूट प्रदान करती है। तीनों धाराएं अधिनियम में शामिल कर योजना के हिस्से हैं और धारा 3-ए के तहत और धारा 4 के तहत भी दोनों शक्तियों का प्रयोग केवल राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है। जब धारा 4 के तहत दायित्व से छूट देने वाली अधिसूचना के बाद, धारा 3-ए के तहत एक बाद की अधिसूचना। कर की दर निर्धारित करता है, यह संदेह से परे है कि इरादा छूट को वापस लेना और बिक्री को कर के लिए उत्तरदायी बनाना है

1 1 (2018) 11 एससीसी 505 12 1984 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 274

13 (2011) 15 एससीसी 762 [2022] 15 एस. सी. आर.

अधिसूचना में निर्धारित दर पर। दोनों की शक्ति के रूप में

छूट के अनुदान और राज्य सरकार में कर निहित की दर में बदलाव के लिए और यह आवश्यकता नहीं है

कानून कि छूट वापस लेने की अधिसूचना किसी भी निर्धारित दर पर कर लगाने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है

धारा 3-ए के तहत एक वैध अधिसूचना द्वारा, हम निर्धारिती के विवाद में कोई बल नहीं देखते हैं जिसे उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है। वास्तव में, दूसरी अधिसूचना को आसानी से एक संयुक्त अधिसूचना के रूप में माना जा सकता है-छूट वापस लेने और उच्च कर प्रदान करने दोनों के लिए। जब दोनों कार्यों की शक्ति राज्य में निहित होती है और कर लगाने का इरादा स्पष्ट होता है तो हम दूसरी अधिसूचना को प्रभावी नहीं करने का कोई औचित्य नहीं देखते हैं। हम यह बताना चाहते हैं कि छूट वस्तुओं के एक वर्ग के संबंध में थी और जबकि छूट जारी है, अब अधिनियम की धारा 3-ए के तहत एक विशिष्ट वस्तु को अधिसूचित किया गया है।

14. बी. सी. रे, जे. ने बहुमत के दृष्टिकोण से असहमति जताते हुए कहाः

" 14. विचार के लिए अगला सवाल यह है कि बिक्री कर लगाने के लिए अनुसूची में एक वस्तु सहित धारा 3-ए के तहत अधिसूचना का क्या प्रभाव है, हालांकि बिक्री कर की धारा 4 के तहत बिक्री कर से सामान्य छूट है।

एक्ट करें। 15. सी. एस. टी. बनाम के मामले में भी इसी तरह का सवाल उठा। रीटा आइसक्रीम कंपनी, गोरखपुर [1981 यूपीटीसी 1239 (डीबी) (ऑल एचसी)] और यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब तक धारा 4 के तहत सामान्य छूट जारी है, तब तक बिक्री कर अधिनियम की धारा 3-ए के तहत अधिसूचित किसी विशेष वस्तु पर कर नहीं लगाया जा सकता है।

16. उपरोक्त इन सभी निर्णयों के संदर्भ में, एकमात्र अप्रतिरोध्य निष्कर्ष यह है कि जब तक सामान्य

सभी प्रकार के सूती कपड़ों के संबंध में धारा 4 के तहत दी गई छूट जारी है, सभी प्रकार के सूती कपड़ों के बेल्ट पर कोई बिक्री कर नहीं लगाया जा सकता है और धारा 4 के तहत सामान्य छूट बिक्री कर की धारा 3-ए के तहत की गई अधिसूचना पर प्रबल होगी।

एक्ट करें। मैं इस विचार को स्वीकार करने में असमर्थ हूं कि चूंकि यू. पी. बिक्री कर अधिनियम की धारा 3-ए के तहत अधिसूचना में मेसर्स त्रिमूर्ति फ्रैग्रेन्स (पी) लिमिटेड है।

यह डी. आई. आर. के माध्यम से है। श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल बनाम। जीओवीटी। दिल्ली के एन. सी. टी. ने अपने प्रधान सचिव (वित्त) के माध्यम से [इंदिरा बनर्जी, जे.]

उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना के बाद, धारा 3-ए के तहत बाद की अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत दी गई सामान्य छूट पर हावी होगी। मेरी सुविचारित राय में उच्च न्यायालय द्वारा किए गए तर्क और निष्कर्ष असाधारण हैं।

15. बिक्री कर अधिकारी, सेक्टर-IX, कानपुर बनाम। डेयरी उत्पादों और Anr.[1]4 से निपटने के लिए, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने इसका पालन किया

आगरा बेल्टिंग वर्क्स (ऊपर) में बहुमत ने निर्णय लिया और कहा कि, भले ही उत्तर प्रदेश राज्य उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम 1948 की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी कर रहा था, जिसमें दूध और दूध उत्पादों को बिक्री कर से छूट दी गई थी, बाद में धारा 3-ए के तहत एक अधिसूचना में अन्य वस्तुओं के साथ-साथ आइसक्रीम पर कर की दर को अधिसूचित किया गया, सभी प्रकार के आइसक्रीम के संबंध में छूट को वापस ले लिया गया और आइसक्रीम की बिक्री को धारा 3 ए के तहत अधिसूचना में निर्दिष्ट दर पर बिक्री कर के लिए उपयुक्त बना दिया गया।

16. बिहार राज्य और अन्य में v. कृष्ण कुमार काबरा और एक अन्य, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने संदर्भित किया और उनका पालन किया।

आगरा बेल्टिंग वर्क्स (ऊपर) और डीलिंग डेयरी प्रोडक्ट्स (ऊपर) और यह अभिनिर्धारित किया कि यू. पी. बिक्री कर अधिनियम की धारा 3-ए और 4 उस अधिनियम में शामिल एक कर योजना के हिस्से थे और इसलिए, जहां अधिसूचना धारा 3-ए के तहत जारी की गई थी, जिसमें वस्तुओं पर कर की दर निर्धारित की गई थी, जिसे धारा 4 के तहत कर से छूट दी गई थी, एक पूर्व अधिसूचना द्वारा, यह अभिनिर्धारित किया जाना था कि बाद की अधिसूचना का उद्देश्य छूट को वापस लेना और बिक्री को बाद की अधिसूचना में निर्धारित दर पर कर के लिए देय बनाना था।

17. हमारी सुविचारित राय में कोठारी उत्पाद (उपरोक्त) मामलों की लाइन और आगरा बेल्टिंग लाइन के बीच कोई टकराव नहीं है।

मामले। कोठारी उत्पाद (उपरोक्त) मामले इस सवाल पर थे कि क्या "तंबाकू" या एडीई अधिनियम की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट अन्य वस्तुओं और इसलिए राज्य बिक्री कर अधिनियमों के तहत बिक्री कर से छूट, को अनुसूची में संशोधन करके राज्य अधिनियमों के तहत कर के लिए उपयुक्त बनाया जा सकता है। दूसरी ओर, आगरा बेल्टिंग वर्क्स (उपरोक्त) मामले यू. पी. की धारा 4 के तहत बिक्री कर से निर्दिष्ट वस्तुओं की सामान्य छूट के बीच परस्पर क्रिया के सवाल पर थे।

1 4 (1994) पूरक। 2 एस. सी. सी. 699 15 (1997) 9 एस. सी. सी. 763 [2022] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बिक्री कर अधिनियम और उक्त अधिनियम की धारा 3-ए के तहत बिक्री कर की दरों का विनिर्देशन। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 4 के तहत बिक्री कर से छूट प्राप्त वस्तुएं धारा 3-ए के तहत बाद की अधिसूचना के आधार पर कर के दायरे से बाहर होंगी, जिसमें धारा 4 के तहत छूट प्राप्त वस्तुओं के वर्ग की किसी भी विशिष्ट वस्तु के लिए बिक्री कर की दर निर्दिष्ट की गई है। कोई विवाद नहीं होने के कारण, संविधान पीठ का संदर्भ अक्षम है। ये मामले

निर्णय के लिए नियमित पीठ के समक्ष रखा जा सकता है। 18. दूसरे प्रश्न का उत्तर डॉ. जैश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय से मिलता है।

मुख्यमंत्री और अन्य "। . संविधान पीठ ने भट, जे. के माध्यम से बोलते हुए कहाः

" 10. इंद्र के निर्णयों का सावधानीपूर्वक अध्ययन

साहनी वी। भारत संघ [इंद्र साहनी बनाम। भारत संघ, 1992 पूरक (3) एस. सी. सी. 217: 1992 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) सप्लीमेंट 1], स्पष्ट करता है कि नौ में से सात न्यायाधीशों ने सहमति व्यक्त की कि एक आरक्षण की मात्रात्मक सीमा-50 प्रतिशत। चार न्यायाधीशों की राय में, इसलिए, बी. पी.

जीवन रेड्डी, जे., इस सीमा को इसके तहत पार किया जा सकता है

असाधारण परिस्थितियाँ और परिस्थितियाँ जिनके लिए

राज्य या संबंधित एजेंसी द्वारा अलग से औचित्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हालांकि, इसमें सर्वसम्मति है

सभी सात न्यायाधीशों द्वारा निष्कर्ष निकाला गया कि एक बाहरी सीमा

आरक्षण 50 प्रतिशत होना चाहिए। निस्संदेह, अन्य दो न्यायाधीश, रत्नवेल पांडियन और पी. बी. सावंत, जे. जे.। संकेत दिया कि आरक्षण पर 50 प्रतिशत सीमा का कोई सामान्य नियम नहीं है। इन परिस्थितियों में, एक बाहरी सीमा यानी 50 प्रतिशत के अस्तित्व के बारे में सामान्य आम सहमति को देखते हुए, याचिकाकर्ता के बारे में असंगति या अनिश्चितता के बारे में तर्क नियम का अस्तित्व या कि अन्य निर्णयों में किसी भी अधिकतम सीमा के अभाव के संबंध में विपरीत टिप्पणियां थीं

(टी. में के. सुब्बा राव के असहमत निर्णय।

देवदासन बनाम। भारत संघ [टी. देवदासन बनाम। भारत संघ, (1964) 4 एससीआर 680: ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 17], एस. एम. फजल अली और कृष्ण अय्यर, जे. जे. के निर्णय। केरल राज्य बनाम। एन. एम. थॉमस [केरल राज्य बनाम। एन. एम. थॉमस (1976) 2 एस. सी. सी. 310: 1976 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 227] और चिन्नाप्पा रेड्डी का निर्णय,

जे. के. सी. वसंत कुमार बनाम कर्नाटक राज्य के. सी. वसंत

16 (2021) 8 एस. सी. सी. 1 त्रिमूर्ति फ्रैग्रेन्स (पी) लिमिटेड है। यह डी. आई. आर. के माध्यम से है। श्री दीप कुमार अग्रवाल बनाम। जीओवीटी। दिल्ली के एन. सी. टी. ने अपने प्रधान सचिव (वित्त) के माध्यम से [इंदिरा बनर्जी, जे.]

कुमार बनाम। कर्नाटक राज्य, 1985 पूरक एस. सी. सी. 714: 1985 मान लीजिए (1) एस. सी. आर. 352) समीक्षा के लिए बाध्य करने वाला तर्क नहीं है।

या इंद्र साहनी का पुनर्विचार [इंद्र साहनी बनाम।

भारत संघ, 1992 पूरक (3) एस. सी. सी. 217: 1992 एससीसी (एल एंड एस)

पूरक 1] नियम।

11. उत्तरदाताओं ने आग्रह किया था कि असंगत आवाजें विभिन्न विषय (देवदासन [टी. देवदासन बनाम। संघ का

भारत, (1964) 4 एससीआर 680: ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 17], एन. एम.

थॉमस [केरल राज्य बनाम। एन. एम. थॉमस (1976) 2 एस. सी. सी. 310: 1976 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 227] और इंद्र साहनी [इंद्र साहनी बनाम। भारत संघ, 1992 पूरक (3) एस. सी. सी. 217: 1992 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) सप्लीमेंट 1) से इंद्र साहनी [इंद्र साहनी बनाम] में अनुपात की पुनः जांच होनी चाहिए। भारत संघ, 1992 पूरक (3) एस. सी. सी. 217: 1992 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) पूरक 1]। यह ध्यान रखना उपयोगी होगा कि किसी दी गई पीठ में सर्वसम्मति (जिसे "सुपर बेंच" कहा जाता है)। बहुमत ")-5 को दर्शाते हुएः 0 ए में सर्वसम्मत निर्णय

संविधान पीठ को एक बड़ी पीठ के फैसले की वैधता पर संदेह करने के लिए एक मजबूत या बाध्यकारी कारण के रूप में नहीं माना जा सकता है जिसमें एक संकीर्ण बहुमत हो सकता है (उदाहरण के लिए, कहें।

सर्वसम्मत पूर्ववर्ती)। टकटकी निर्णय का सिद्धांत ऊर्ध्वाधर रूप से इस अर्थ में काम करता है कि ऊर्ध्वाधर पदानुक्रम में वरिष्ठ में अपीलीय न्यायालयों के निर्णय, न्यायाधिकरणों और पदानुक्रम में निचले न्यायालयों को बाध्य करते हैं, और क्षैतिज रूप से-इस अर्थ में कि एक बड़ी पीठ के गठन का निर्णय, बाध्यकारी होगा और एक छोटी पीठ के गठन के फैसले पर प्रबल होगा। तर्क में यह पूर्ववर्ती सिद्धांत यानी कानून में स्थिरता के लिए कारण से उत्पन्न होता है। यदि इस नियम से अलग होना था और बाद में एक बड़ी पीठ के फैसले की वैधता थी

इस आधार पर संदेह किया जाए कि इसमें से कोई भी शामिल है

राय की बहुलता या एक संकीर्ण बहुमत की तुलना में

पीठ का पिछला निर्णय (जो या तो सर्वसम्मत हो सकता है या अधिक बहुमत का हो सकता है, लेकिन पीठ की कम संख्या का हो सकता है), तो पूर्ववर्ती निश्चितता के क्षेत्र में अनिश्चितता और स्पष्टता की कमी होगी। यदि इस प्रकार एक बड़ी पीठ के फैसले की पूर्ववर्ती वैधता पर संदेह किया जाना था, तो अदालतों के पदानुक्रम या यहां तक कि उसी अदालत की बाद की पीठों का मार्गदर्शन करने के लिए कोई नियम नहीं हैं जिनके बारे में अपनाया जाना उचित है (उदाहरण के लिए,

विचार किए जाने वाले पिछले निर्णयों की संख्या बहुमत का निर्धारण, और परिणामस्वरूप सही कानून)।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12. उपरोक्त तर्क को ध्यान में रखते हुए यह माना जाता है कि अस्तित्व

विचारों या असंगत या असंतुष्ट निर्णयों की बहुलता अतीत में

जिसके कारण बहुमत भी हो सकता था (एक पर

समग्र गणना) एक में एक विशेष नियम का समर्थन करना

विशेष मामला किसी नियम की वैधता को कम नहीं कर सकता है।

इंद्र साहनी [इंद्र साहनी बनाम। संघ का भारत, 1992 पूरक (3) एस. सी. सी. 217: 1992 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) अनुपूरक 1]।

19. भट, जे. के विचार से राव, जे. स्पष्ट रूप से सहमत थे।

(पैरा 196) और गुप्ता, जे। (पैरा 227)। इस विचार से कोई असहमति नहीं थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 (5) को देखते हुए सुनवाई में अधिकांश न्यायाधीशों की सहमति को न्यायालय का निर्णय या राय माना जाएगा। यह तय किया गया है कि अधिक संख्या वाली पीठ का बहुमत निर्णय कम संख्या वाली पीठ के फैसले पर हावी होगा, भले ही बहुमत वाले न्यायाधीशों की संख्या कुछ भी हो।

20. डॉ. जैश्री मामले में पाँच-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को ध्यान में रखते हुए

लक्ष्मण राव (ऊपर), इस न्यायालय के लिए इस प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं है।

हेमंत गुप्ता, जे।

उ. मैं माननीय द्वारा लिखे गए निर्णय से पूरी तरह सहमत हूं। इंदिरा

न्यायमूर्ति बनर्जी, हालांकि, प्रश्न संख्या 2 के संबंध में, मैं व्यक्त की गई राय को पूरक बनाना चाहूंगा।

बी. श्री गोपाल शंकरनारायणन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

संविधान के अनुच्छेद 145 (5) को यह तर्क देने के लिए संदर्भित किया गया है कि इस न्यायालय का निर्णय एक की सहमति के साथ दिया जाना अनिवार्य है मामले की सुनवाई में उपस्थित न्यायाधीशों का बहुमत, लेकिन इस खंड में कुछ भी ऐसे न्यायाधीश को रोकने के लिए नहीं माना जाएगा जो असहमतिपूर्ण निर्णय या राय देने से सहमत नहीं है। इस प्रकार, संविधान ने स्वयं यह परिकल्पना की है कि निर्णय न्यायाधीशों के बहुमत द्वारा दिया जाता है।

ग. 42 वें संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 144 ए को शामिल करने का संदर्भ 01.02.1977 से दिया गया था। संशोधन इस प्रकार है:

" 144 - ए. कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के संबंध में विशेष प्रावधान-(1) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या जो मेसर्स त्रिमूर्ति फ्रैग्रेन्स (पी) लिमिटेड का निर्धारण करने के उद्देश्य से बैठेंगे।

यह डी. आई. आर. के माध्यम से है। श्री

प्रदीप कुमार अग्रवाल बनाम। जीओवीटी। दिल्ली के एन. सी. टी. थ्रू

इसका प्रधान सचिव (वित्त) [हेमंत गुप्ता, जे।]

किसी केंद्रीय कानून की संवैधानिक वैधता के बारे में कोई प्रश्न या राज्य का कानून सात होगा।

A. किसी केंद्रीय कानून या राज्य के कानून को घोषित नहीं किया जाएगा

कम से कम दो तिहाई न्यायाधीश इस उद्देश्य के लिए बैठते हैं - इस प्रकार की संवैधानिक वैधता के बारे में प्रश्न का निर्धारण

कानून इसे संवैधानिक रूप से अमान्य मानता है।

D. उक्त संशोधन को 43 वें संशोधन द्वारा पूर्ववत कर दिया गया था जब

अनुच्छेद 144-ए को 01.02.1977 पर और उससे हटा दिया गया था। यद्यपि अनुच्छेद 144-ए के उक्त समावेशन को निरस्त कर दिया गया है, लेकिन यह दर्शाता है कि विधायिका ने यह भी माना कि कम से कम दो तिहाई न्यायाधीशों के बहुमत से कानून की संवैधानिक वैधता के बारे में प्रश्न का निर्धारण किया जाना चाहिए। इसलिए, इस तरह के संशोधन में भी असहमति और अल्पमत के दृष्टिकोण पर विचार किया गया।

ई. एक पूर्ण पीठ द्वारा इसी तरह के प्रश्न की जांच की गई है

गुजरात उच्च न्यायालय ने एक फैसले में गुजरात राज्य बनाम गोरधनदास केशवजी गांधी और Ors.[1]7 के रूप में रिपोर्ट किया। न्यायालय उत्तराधिकारी गुजरात उच्च न्यायालय में बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णयों की बाध्यकारी प्रकृति पर विचार कर रहा था, लेकिन पीठ की संख्यात्मक संख्या के संबंध में भी एक सहायक प्रश्न पर विचार किया गया था। यद्यपि न्यायालय के न्यायाधीशों के बीच मतभेद है, लेकिन अल्पमत

विचार के लिए उत्पन्न होने वाले दूसरे प्रश्न के लिए दृष्टिकोण प्रासंगिक था। अल्पसंख्यक दृष्टिकोण एन. एम. मियाभॉय जे. और P.N.Bhagwati जे. द्वारा व्यक्त किया गया है। हम उक्त दृष्टिकोण से सहमत हैं। विद्वान माननीय न्यायमूर्ति श्री एन. एम. मियाभॉय जे. द्वारा पारित आदेश इस प्रकार हैः

वे सिद्धांत जिन्होंने बाद के न्यायालय का मार्गदर्शन किया

" 44. ... .

(1944) में 1 KB 718। सभी डिवीजन पीठों ने खुद पर विचार किया पूर्ण पीठों द्वारा बनाए गए न्यायिक उदाहरणों से बाध्य होना

न केवल न्यायिक एकता के आधार पर बल्कि जमीनी स्तर पर भी

कि एक पूर्ण पीठ में न्यायाधीशों की संख्या एक से अधिक थी

डिवीजन बेंच। यदि एक पूर्ण पीठ द्वारा बनाई गई न्यायिक मिसाल

पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, तो, सामान्य अभ्यास को संदर्भित करना था

अधिक संख्या में न्यायाधीशों वाली पूर्ण पीठ के समक्ष मामला

उस संख्या की तुलना में जो पूर्व पूर्ण पीठ का गठन करती थी

निर्णय को संशोधित करने की मांग की गई थी। अभ्यास को ध्यान में रखना था

अधिक प्रभावी होने के रूप में एक बड़ी पूर्ण पीठ का उदाहरण और

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कम संख्या में न्यायाधीशों से युक्त पूर्ण पीठ की तुलना में प्राधिकरण। उनके द्वारा की गई टिप्पणियों को देखते हुए उपर्युक्त दो मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अधिपति 1 8, भारत में जो विचार प्रबल होना चाहिए, वह यह है कि एक छोटी पूर्ण पीठ के निर्णय को प्राथमिकता देते हुए एक बड़ी पूर्ण पीठ के निर्णय का पालन किया जाना चाहिए।

XXX

XXX

XXX

यह आदेश विद्वान माननीय न्यायमूर्ति पी. एन. भागवतिरादों ने पारित किया।

XXX

XXX

XXX

117. ... .

..... क्या उच्च न्यायालय की अगली पूर्ण पीठ है

न्यायालय की पिछली पूर्ण पीठ के निर्णय का पालन करने के लिए बाध्य

उच्च न्यायालय, हालांकि पिछली पूर्ण पीठ में एक

न्यायाधीशों की संख्या बाद की पूर्ण पीठ की तुलना में कम है? द. प्रश्न अंततः खुद को एक संकीर्ण प्रश्न में हल करता है, अर्थात्, कैसे

जहाँ तक संख्यात्मक शक्ति की श्रेष्ठता का सिद्धांत होना चाहिए

ले जाया गया। यदि संख्यात्मक शक्ति की श्रेष्ठता का सिद्धांत लागू किया जाता है

उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठों के लिए जो भी संख्यात्मक हो

चार न्यायाधीशों के पिछले निर्णय को ओवरराइड करने में सक्षम होंगे तीन न्यायाधीशों की एक पूर्ण पीठ, पाँच न्यायाधीशों की एक पूर्ण पीठ

चार की पूर्ण पीठ के पिछले निर्णय को ओवरराइड करने में सक्षम हो न्यायाधीश आदि इत्यादि। ब्यूमोंट, सी. जे. ने संदेह व्यक्त किया

आकाशवाणी 1960 एससी 936

एयर 1960 एससी 1118/एस त्रिमूर्ति फ्रैग्रेन्स (पी) लिमिटेड। यह डी. आई. आर. के माध्यम से है। श्री दीप कुमार अग्रवाल बनाम। जीओवीटी। दिल्ली के एन. सी. टी. थ्रू

इसका प्रधान सचिव (वित्त) [हेमंत गुप्ता, जे।]

43 बम एल. आर. 864 में इस स्थिति की शुद्धता के संबंध में: (ए. आई. आर. 1941 बॉम 408) निम्नलिखित शब्दों में:

" ..... जाहिरा तौर पर यह माना जाता था कि पाँच न्यायाधीशों द्वारा

एक के लिए चार का बहुमत, एक सर्वसम्मत निर्णय को खारिज कर सकता है

चार न्यायाधीश, शुद्ध परिणाम यह है कि चार न्यायाधीशों की राय

समन्वय के पाँच न्यायाधीशों की राय पर विजय प्राप्त की

अधिकार क्षेत्र। ऐसा लगता है कि पूर्ण पीठ की शक्तियों और गठन पर बहुत कम अधिकार है। - इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि एक पूर्ण पीठ एक खंड पीठ को खारिज कर सकती है, और एक पूर्ण पीठ में तीन या अधिक न्यायाधीश होने चाहिए; लेकिन ऐसा लगता है

यह मानना असंगत है कि बाद में पूर्ण पीठ एक को रद्द कर सकती है

पहले की पूर्ण पीठ, केवल इसलिए कि बाद की पीठ में पहले की तुलना में अधिक न्यायाधीश होते हैं। यदि यह नियम था, तो इसका मतलब यह होगा कि सात न्यायाधीशों की पीठ, चार से तीन के बहुमत से, छह न्यायाधीशों की पीठ के सर्वसम्मत निर्णय को खारिज कर सकती है, हालांकि सभी न्यायाधीश समन्वित अधिकार क्षेत्र के थे।

यह इस स्थिति की विसंगति थी जो

ब्यूमोंट, सी. जे. को उपरोक्त टिप्पणियाँ करने के लिए प्रेरित किया।

हालाँकि, यह विसंगति इस सिद्धांत में निहित है कि

संख्यात्मक शक्ति की श्रेष्ठता और इसमें खड़ा नहीं होना चाहिए

उच्च न्यायालय की पीठें। वही विसंगति तब भी उत्पन्न होती है जब उच्च न्यायालय के चार या पाँच न्यायाधीश, प्रत्येक बैठक में अकेले एक न्यायाधीश लेते हैं।

दो न्यायाधीशों से मिलकर एक अलग दृष्टिकोण लेता है या जब तीन या चार डिवीजन बेंच, जिनमें से प्रत्येक में दो जज होते हैं, एक लेते हैं।

कानून के एक बिंदु पर दृष्टिकोण जबकि तीन न्यायाधीशों की एक पूर्ण पीठ एक लेती है

अलग नज़रिया। राय पर दो न्यायाधीशों की राय हावी है।

पूर्व मामले में चार या पाँच न्यायाधीशों का जबकि बाद वाले मामले में

तीन न्यायाधीशों की राय आठ या आठ की राय पर हावी है। दस न्यायाधीश, हालांकि सभी न्यायाधीश समन्वित अधिकार क्षेत्र के हैं।

इसलिए यह विसंगति इसके खिलाफ एक वैध तर्क नहीं हो सकता है।

संख्यात्मक शक्ति की श्रेष्ठता के सिद्धांत का अनुप्रयोग

उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठों के बीच। का सिद्धांत

संख्यात्मक शक्ति की श्रेष्ठता एक सिद्धांत है, जैसा कि मेरे पास है पहले से ही ऊपर उल्लिखित, कानून को लचीलापन प्रदान करता है और स्वयं उच्च न्यायालय के ढांचे के भीतर एक आसान तंत्र प्रदान करता है।

गलत निर्णयों के सुधार के लिए जो अन्यथा [2022] 15 एस. सी. आर. होंगे।

अदालत "। (जोर दिया गया) च. यह उल्लेख किया जा सकता है कि इस न्यायालय की एक संविधान पीठ में

दाउदी बोहरा समुदाय के केंद्रीय बोर्ड के रूप में रिपोर्ट किया गयाएन. आर. वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्न "। भारत संघ और ए. एन. आर. में पहले के अनुलेखन पीठ के फैसले से उद्धृत। वी. रघुबीर

एन (मृत) एलआरएस द्वारा। Etc.20 और निम्नानुसार आयोजित किया गयाः

" 10. टकटकी निर्णय के सिद्धांत का भी संदर्भ दिया गया था। शेर सिंह बनाम का उल्लेख करते हुए उनके प्रभुत्व का पालन किया गया। की स्थिति

पंजाब [(1983) 2 एससीसी 344: 1983 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 461] हालाँकि न्यायालय दो और तीन न्यायाधीशों के प्रभागों में बैठता है

सुविधा है लेकिन यह अनुचित होगा यदि की एक खंड पीठ

दो न्यायाधीशों ने डिवीजन बेंच के फैसलों को रद्द करना शुरू कर दिया तीन। ऐसा करना न केवल नियम के लिए हानिकारक होगा

और कानून के विकास में निश्चितता और इसके समकालीन स्थिति-दोनों तत्काल हताहत होंगे।

XXX

XXX

12. द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद

पक्षों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील और जांच करने के बाद संविधान पीठों द्वारा निर्धारित कानून उपरोक्त में

निर्णय, हम निम्नलिखित में कानूनी स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहेंगे।

शर्तें:

(1) इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में निर्धारित कानून अधिक ताकत की बेंच किसी भी बाद की बेंच पर बाध्यकारी है

कम या समान शक्ति।

(2) कम कोरम वाली पीठ इससे असहमत या असहमत नहीं हो सकती।

वृहत्तर कोरम की पीठ द्वारा लिए गए कानून का दृष्टिकोण। के मामले में

संदेह है कि कम कोरम की पीठ केवल आमंत्रित कर सकती है मुख्य न्यायाधीश का ध्यान और मामले के लिए अनुरोध

न्यायपीठ से अधिक गणपूर्ति वाली न्यायपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए रखा गया जिसका निर्णय विचार के लिए आया है। यह खुला रहेगा।

केवल संदेह करने वाली राय व्यक्त करने के लिए समान शक्ति वाली पीठ के लिए

5) 2 एस. सी. सी. 673 9) 2 एस. सी. सी. 754 एम/एस. त्रिमूर्ति फ्रैग्रेन्स (पी) लिमिटेड। यह डी. आई. आर. के माध्यम से है। श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल बनाम। जीओवीटी। दिल्ली के एन. सी. टी. ने अपने प्रधान सचिव (वित्त) के माध्यम से [हेमंत गुप्ता, जे.]

समान संख्या की पूर्ववर्ती न्यायपीठ द्वारा लिए गए विचार की शुद्धता, जिस पर मामले को सुनवाई के लिए उस न्यायपीठ के समक्ष रखा जा सकता है जिसमें उस न्यायपीठ से बड़ी गणपूर्ति हो जो

कानून की शुद्धता को निर्धारित करने वाले निर्णय को घोषित किया

जिस पर संदेह है।

(3) . ...

जी. निष्कर्ष (1) यह है कि सबसे बड़ी संख्या वाली पीठ द्वारा दिया गया निर्णय कम या समतुल्य की किसी भी बाद की पीठ पर बाध्यकारी है।

ताकत। यह पीठ की ताकत है न कि न्यायाधीशों की संख्या जिन्होंने एक विशेष दृष्टिकोण अपनाया है जिसे प्रासंगिक कहा जाता है। हालांकि, निष्कर्ष (2) यह पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि कम कोरम वाली पीठ अधिक कोरम वाली पीठ द्वारा लिए गए कानून के दृष्टिकोण से असहमत या असहमत नहीं हो सकती है। कोरम का अर्थ है पीठ की ताकत जो मामले की सुनवाई कर रही थी।

एच. इस प्रकार, यह सही निष्कर्ष निकाला गया है कि एक विशेष दृष्टिकोण रखने वाले न्यायाधीशों की संख्यात्मक संख्या प्रासंगिक नहीं है, लेकिन पीठ

शक्ति निर्णय की बाध्यकारी प्रकृति का निर्धारक है।

संदर्भ का

निपटारा किया गया।

दिव्या पांडे

(सहायकः दीपक पंवार, एलसीआरए)